भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2521
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र के नंदूरबार में मिर्च की खेती

2521. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में, विशेष रूप से नंदूरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मिर्च उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण की बहुत अधिक संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नंदूरबार में 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि मिर्च की खेती के लिए उपयोग की जा रही है, फिर भी उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कोई मिर्च पार्क या मसाला पार्क नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में संचालित मिर्च/मसाला पार्क की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में उद्घाटन किए गए, संचालित किए गए और पूर्ण किए कुल मिर्च/मसाला पार्कों की संख्या कितनी है;

(ङ) महाराष्ट्र राज्य के लिए मिर्च/मसाला पार्कों की स्थापना के लिए संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मिर्च पार्क स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (च): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाएं हैं। एमएफपी और एपीसी योजना का मुख्य उद्देश्य खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ मसाले/मिर्च सहित सभी खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु आधुनिक अवसंरचना सृजित करना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मेगा फूड पार्क/एपीसी का खाद्य उत्पादवार/फसलवार आवंटन नहीं किया जाता है। यह आगे भी कहा जा सकता है कि एमओएफपीआई स्वयं कोई एमएफपी या एपीसी परियोजना स्थापित नहीं करता है। बल्कि

एमओएफपीआई इन योजनाओं के माध्यम से अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो प्रकृति में मांग आधारित होती हैं। इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता और मूल्यांकन मानदंड के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और पात्र पाए गए प्रस्तावों में से योग्यता के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ए.पी.सी. योजना 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी है, जबकि एम.एफ.पी. योजना दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है। नंदुरबार संसदीय क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के तहत एक परियोजना को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। नंदुरबार संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत परियोजना का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

मसाला बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन / बाजार केन्द्रों में आठ फ स ल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं जिनका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध -I

"महाराष्ट्र के नंदुरबार में मिर्च की खेती" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोकसभा में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 2521 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध"

क्रमांक	**कार्यान्वयन एजेंसी का नाम**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिले का नाम**	**स्थिति**	**अंतिम अनुमोदन की तिथि**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**अनुमोदित अनुदान राशि**	**जारी अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)**
1.	मेसर्स रेवा तापी घाटी औद्योगिक विकास	महाराष्ट्र	नंदुरबार	जारी	08.01.2019	27.06	10.00	6.75

अनुबंध - II

"महाराष्ट्र के नंदुरबार में मिर्च की खेती" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोकसभा में उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2521 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध"

मसाला पार्क का नाम	**राज्य**	**शामिल किए गए मसाले**
छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	लहसुन और मिर्च
गुना	मध्य प्रदेश	धनिया
गुंटूर	आंध्र प्रदेश	मिर्च
जोधपुर	राजस्थान	जीरा
रामगंज मंडी	राजस्थान	धनिया
पुट्टडी	केरल	इलायची और काली मिर्च
रायबरेली	उत्तर प्रदेश	पुदीना
शिवगंगा	तमिलनाडु	मिर्च और हल्दी

*****